राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या / 1991 / 2014 / भीलवाडा

मैसर्स गोविन्द कंस्ट्रक्शन,
भीलवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या / 1992 / 2014 / भीलवाडा

मैसर्स गीता कंस्ट्रक्शन,
भीलवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एम.पी.शर्मा,
कर सलाहकार .....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 04 / 12 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अपील संख्या 58 / वैट / 14–15 एवं 59 / वैट / 14–15 में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 22.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 06.05.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् आरोपित कुल मांग राशि क्रमशः रूपये 18,505 / – एवं 72,648 / – को यथावत रखते हुए प्रकरण आंशिक रूप से प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष वर्ष 2012–13 के विवरण पत्र वेट 10 विलम्ब से प्रस्तुत किये गये। इस पर सशक्त अधिकारी ने वैट लगाकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जमा करवायी राशि रूपये का समायोजन कर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.05.2014 पारित कर दिया। सशक्त

लगातार.....2

अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रमशः राशि रूपये 18,505/– एवं 72,648 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित कर अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा मांग राशियों को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से प्रतिप्रेषित कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीलें पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारीगण की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि राज्य सरकार के नियमों द्वारा बिल्डिंग कार्य होने से वैट एक्ट में 30 प्रतिशत मजदूरी कम करने के पश्चात् ईसी फीस का आरोपण किया जा सकता है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के अन्दर से ही वैट चुकाये माल का क्रय किया था, जिस पर राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारीगण को आई.टी.सी. क्लेम दिया जावे। अपने कथन को जारी रखते हुए उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत रिटर्न पर शास्ति का आरोपण किये जाने से पूर्व सुनवायी का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उन्हें सुने बिना ही कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार करके कर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संविदा का कार्य लेकर ठेका कार्य किया जाता है। इस बाबत् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल–मैटेरियल की खरीद कर उस माल को संविदा में लगा दिया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ई.सी. का विकल्प लिये जाने के पश्चात् उन्हें कर निर्धारण से संबंधित औपचारिकताओं से मुक्ति मिल जाती हैं, इस का अपीलार्थी द्वारा ई.सी. का विकल्प लिया गया, यह विकल्प अपीलार्थी द्वारा अपना स्वयं का स्वेच्छापूर्वक अपनाया गया विकल्प है, इसमें विभाग की और से कोई बाध्यकारी नहीं है। ई.सी. का अर्थ है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मजदूरी राशि में कटौती के समस्त अधिकार विभाग को समर्पित कर दिये। अपीलार्थी व्यवहारी ने स्वेच्छा से कर मुक्ति (ई.सी.) का विकल्प चुना है, जो कर मुक्ति शुल्क दिनांक 11.08.2006 की अधिसूचना के अनुसार सम्पूर्ण टर्नओवर पर देय है, अतः अपीलार्थी के कुल टर्नओवर में से मजदूरी राशि कम करने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

7. अपीलार्थी व्यवहारीगण के अन्य बिन्दु रिटर्न पर शास्ति (Late fee) में नोटिस देना आवश्यक नहीं है, अतः सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण पर आरोपित शास्ति

लगातार.....3

विधिक होने से यथावत् रखी जाती है। आई.टी.सी. के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः इस बिन्दु पर कर बोर्ड में अब कोई सुनवाई अपेक्षित नहीं है।

8. उक्तानुसार इन दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य